

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

अमित कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

दिनांक:- 5/2/2020

विषय:- मंडल कारा अररिया में A-type qtr. का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक:-7794 दिनांक:-30.10.18 के द्वारा विषयांकित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में मंडल कारा अररिया में A-type qtr. का निर्माण कार्य हेतु कुल ₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है।

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0105-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड-03-4059600510105 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जाएगी।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया होंगे।
- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, अररिया से की जायेगी।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वसभाजन  
21/11/20  
(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:- 5/2/2020

ज्ञापांक:- 1071 (ग)

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:- 5/2/2020

ज्ञापांक:- 1071 (ग)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।